

राजस्थान सरकार  
निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
खनिज भवन, शास्त्री सर्कल, उदयपुर  
e-mail : dmgomms.uda.mg@rajasthan.gov.in

क्रमांक- DMG/DMGOMS/E-~~1668-1719~~/2019/1199-1247 दिनांक :- 03/09/2019

खनि अभियन्ता - अजमेर/ अलवर/ आमेर/ उदयपुर/ करौली/ कोटा/ चित्तौड़गढ़/  
जयपुर/ जालौर/ जैसलमेर/ जोधपुर/ झुंझुनू / धौलपुर/ नागौर/ डूंगरपुर/  
प्रतापगढ़/ ब्यावर/ बांसवाड़ा/ बाड़मेर/ बिजौलिया/ बीकानेर/ बूंदी-1/ बूंदी-2/  
भरतपुर/ भीलवाड़ा/ मकराना/ राजसमंद-1/ राजसमंद-2/ रामगंजमंडी/ सीकर/  
सिरोही/ सोजतसिटी/ श्रीगंगानगर।

सहायक खनि अभियन्ता- ऋषभदेव/ कोटपूतली/ गोटन/ टोंक/ चुरू/ झालावाड़/  
दौसा/ नीम का थाना/ निम्बाहेड़ा/ बालेसर/ बांरा/ रूपवास/ सलूमवर/  
सवाईमाधोपुर/ सावर/ हनुमानगढ़।

विषय:- ई-रवन्ना/टी.पी. के कन्फर्मेशन एवं एक्सपायरी में किये गये नवीन प्रावधानों  
के संबंध में।

प्रसंग:- निदेशालय आदेश क्रमांक 1668-1719 दिनांक 26.09.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय ई-रवन्ना/ई-टी.पी. सिस्टम एवं  
अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रेषित प्रकरणों की समीक्षा में यह पाया गया है कतिपय वाहन  
असाधारण विलम्ब से वे-ब्रिज पर पहुंचते हैं तथा गंतव्य स्थान की दूरी भी असाधारण  
बतायी जाती है जिससे रॉयल्टी अवपंचन की संभावना बनती है। अतः ई-रवन्ना/टी.पी.  
प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने के लिये ऑनलाईन सिस्टम में रवन्ना/टी.पी. कन्फर्म  
तथा एक्सपायर होने के अधिकतम समय में निम्नानुसार नवीन प्रावधान किये जा रहे हैं-

क्रसं. (1)	गतव्य स्थान की दूरी-(2)	रवन्ना/टी.पी. कन्फर्म करने की अधिकतम समय सीमा-(3)	रवन्ना/टी.पी. एक्सपायर होने का समय-(4)
1.	0-10 कि.मी.	2 घण्टे	2 घण्टे
2.	11-25 कि.मी	2 घण्टे	3 घण्टे
3.	26-50 कि.मी.	3 घण्टे	3 घण्टे
4.	51-100 कि.मी.	3 घण्टे	5 घण्टे
5.	101-150 कि.मी.	3 घण्टे	7 घण्टे
6.	151-200 कि.मी.	3 घण्टे	9 घण्टे
7.	201-250 कि.मी.	3 घण्टे	11 घण्टे
8.	251-300 कि.मी.	3 घण्टे	15 घण्टे
9.	301-350 कि.मी.	3 घण्टे	18 घण्टे
10.	350-400 कि.मी.	3 घण्टे	20 घण्टे
11.	401-450 कि.मी.	3 घण्टे	23 घण्टे
12.	451-500 कि.मी.	3 घण्टे	26 घण्टे
13.	501-600 कि.मी.	3 घण्टे	30 घण्टे

14.	601-700 कि.मी.	3 घण्टे	36 घण्टे
15.	701-800 कि.मी.	3 घण्टे	39 घण्टे
16.	801-900 कि.मी.	3 घण्टे	42 घण्टे
17.	901-1000 कि.मी.	3 घण्टे	45 घण्टे
18.	1000 कि.मी. से अधिक	3 घण्टे	50 घण्टे

- i) उपरोक्तानुसार ई-रवन्ना/ई-टी.पी. के वे-मेंट (कन्फर्मेशन) हेतु अनुमत समय (कॉलम सं. -3) के पश्चात ई-रवन्ना/ई-टी.पी. को किसी भी वे-ब्रिज पर कन्फर्म नहीं किया जा सकेगा।
- ii) खनिज निर्गमन के दौरान गंतव्य स्थान पर पहुंचने की अधिकतम समय-सीमा (कॉलम सं. -4) के पश्चात ई-रवन्ना/ई-टी.पी. की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी तथा इस प्रकार के निर्गमन को अवैध मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
- iii) वाहन के खराब होने एवं अपवादिक परिस्थितियों वे-मेंट (कन्फर्मेशन) में विलम्ब होने पर अन्कफर्म ई-रवन्ना/ई-टी.पी. को कार्यालयों द्वारा निदेशालय आदेश दिनांक 28.09.2018 एवं 26.04.2019 के अनुसार कन्फर्म की जावेगी।

उक्त प्रावधान दिनांक 06.09.2019 से प्रभावी होंगे। समस्त कार्यालयों को निर्देशित किया जात है कि इस संबंध में अपने क्षेत्राधिकार के समस्त खननपट्टाधारियों एवं डीलर्स को सूचित करावें।



(जे.के. उपाध्याय)IAS  
निदेशक

क्रमांक- DMG/DMGOMS/e-ravanna/2019/1248-1267

दिनांक :- 03/09/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त निदेशक (खान) मु0/सतर्कता/जोन- जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा।
2. अधीक्षण खनि अभियन्ता मु0-1/II/III/वृत- जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / कोटा / बीकानेर/भरतपुर/ भीलवाडा/ अजमेर/राजसमन्द।
3. समस्त खनि अभियन्ता, सतर्कता।
4. समस्त सहायक खनि अभियन्ता, सतर्कता।



(जे.के. उपाध्याय)IAS  
निदेशक